

**न्यायालय : गोपेश गर्ग, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
गोहद जिला भिण्ड, मध्यप्रदेश**

प्रकरण क्रमांक : 42 / 14

संस्थापन दिनांक : 28.01.2014

म.प्र.राज्य द्वारा पुलिस थाना गोहद चौराहा जिला
भिण्ड म.प्र.

— अभियोजन

बनाम

1—रामसेवक पुत्र मुन्नालाल कड़ेरे उम्र 27 वर्ष निवासी
स्टेशन रोड गुरुद्वारा गली गोहद चौराहा थाना गोहद
चौराहा जिला भिण्ड

— अभियुक्त

निर्णय

(आज दिनांक.....को घोषित)

1. उपरोक्त अभियुक्त के विरुद्ध धारा 279, 338 भा.द.स. के अधीन दण्डनीय अपराध का आरोप है कि उसने दिनांक 03.01.14 को रात्रि 8 बजे या उसके लगभग सरदार पेट्रोल पम्प के सामने भिण्ड ग्वालियर हाईवे रोड अंतर्गत थाना गोहद चौराहा लोक मार्ग पर वाहन ट्रक क्रमांक एम0पी0-07-एच.बी.0179 को उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया तथा फरियादी राकेश कुशवाह अ0सा04 की मोटरसाइकिल सी.टी.100 में टक्कर मारकर उसे घोर उपहति कारित की।
2. अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 03.01.14 को फरियादी राकेश कुशवाह अ0सा04 अपने गांव कठवा हाजी चक झावलपुरा से गोहद चौराहे पर अपनी मोटरसाइकिल को बृजेश जाटव मिस्त्री की दुकान पर सुधरवाकर लेने आया था उसकी मोटरसाइकिल चालू नहीं हुई थी तो बृजेश मिस्त्री ने दूसरी मोटरसाइकिल बजाज सी.टी.100 उसे दे दी थी उसमें पेटोल डलवाने वह पेटोल पम्प पर जा रहा था तभी भिण्ड तरफ से टक क्रमांक एम0पी0-07-एच.बी. 0179 का चालक अपने टक को तेजी व लापरवाही से चलाकर लाया और उसकी मोटरसाइकिल में टक्कर मार दी जिससे वह गिर पड़ा और उसकी कमर में मूंदी

चोट व शरीर में जगह-जगह मूदी चोट लगी। तत्पश्चात फरियादी राकेश कुशवाह अ0सा04 की रिपोर्ट पर से थाना गोहद चौराहा में देहाती नालिसी प्र0पी-3 दर्ज की गयी जिस पर से आरोपी के विरुद्ध अप0क्र0 02/14 पर प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध कर मामला विवेचना में लिया गया और संपूर्ण विवेचना उपरांत आरोपी के विरुद्ध प्रथम दृष्टया मामला बनना प्रतीत होने से अभियोग पत्र विचारण हेतु न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

3. आरोपी ने अपराध विवरण की विशिष्टियों को अस्वीकार कर विचारण का दावा किया है। आरोपी की मुख्य प्रतिरक्षा है कि उसे प्रकरण में झूठा फंसाया गया है बचाव में किसी साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया है।
4. प्रकरण के निराकरण हेतु निम्न विचारणीय प्रश्न हैं कि
 1. क्या आरोपी ने दिनांक 03.01.14 को रात्रि 8 बजे या उसके लगभग सरदार पेट्रोल पम्प के सामने भिण्ड ग्वालियर हाईवे रोड अंतर्गत थाना गोहद चौराहा लोक मार्ग पर वाहन ट्रक क्रमांक एम0पी0-07-एच.बी.0179 को उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया ?
 2. क्या आरोपी ने उक्त दिनांक समय व स्थान पर फरियादी राकेश कुशवाह अ0सा04 की मोटरसाइकिल सी.टी.100 में टक्कर मारकर उसे घोर उपहति कारित की ?

// विचारणीय प्रश्न क्रमांक 01 व 02 का सकारण निष्कर्ष //

5. राकेश कुशवाह अ0सा04 ने कथन किया है कि दिनांक 03.01.14 को रात्रि 8 बजे वह भिण्ड से मोटरसाइकिल से जा रहा था तब भिण्ड रोड पेट्रोल पम्प के पास भिण्ड की तरफ से एक टक तेजी और लापरवाही से आया और पीछे से टक्कर मार दी जिससे वह बेहोश हो गया उसे टक का नंबर याद नहीं है। उसने देहाती नालिसी प्र0पी-3 लिखाई थी जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने घटनास्थल का नक्शामौका प्र0पी-4 बनाया था जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने उसकी डॉक्टरी कराई और पूछताछ की थी। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर इस साक्षी ने इंकार किया है कि उसने पुलिस कथन प्र0पी-8 व देहाती नालिसी प्र0पी-3 में टक क्रमांक एम0पी0-07-एच.बी.0179 लिखाया था और यह भी कथन किया है कि वह डाइवर को नहीं पहचान सकता।
6. साक्षी गंगासिंह अ0सा01 ने कथन किया है कि एक वर्ष पूर्व उसकी भिण्ड रोड स्थित दुकान निरंकार ऑटो मोबाइल पेट्रोल पम्प के सामने शाम के समय एक मोटरसाइकिल पेट्रोल पम्प से आ रही थी तब भिण्ड की तरफ से एल. पी. टक तेजी से आ रहा था। जिसने मोटरसाइकिल पर टक चढ़ा दिया और चालक को चोटें आई थीं। फिर उन्होंने पुलिस को सूचना देकर मोटरसाइकिल वाले को अस्पताल ले गये थे। टक का नंबर एम0पी0-07-एच.बी.0179 की जानकारी होने से इस साक्षी ने इंकार किया है और प्रतिपरीक्षण में कथन किया है कि टक चालक कौन था उसे जानकारी नहीं है।
7. बृजेश अ0सा05 ने कथन किया है कि एक-डेढ़ वर्ष पूर्व राकेश अ0सा04 उसे मोटरसाइकिल से लेकर भिण्ड की ओर गया था। राकेश की गाड़ी उसी की दुकान पर रह गयी थी और उसने राकेश अ0सा04 को दूसरी गाड़ी दे

दी थी और सुबह उसे पता चला कि राकेश अ0सा04 का एक्सीडेंट हो गया है। एक्सीडेंट किस टक से कहां व कैसे हुआ उसे नहीं मालूम। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर इस साक्षी ने इंकार किया है कि टक क्रमांक एम0पी0-07-एच.बी.0179 के चालक ने टक को तेजी व लापरवाही से चलाकर राकेश अ0सा04 की मोटरसाइकिल में टक्कर मारी थी और इस सुझाव से भी इंकार किया है कि उसने टक्कर होते हुए देखी थी।

8. साक्षी राजेन्द्रसिंह अ0सा03 का कथन है कि वह दिनांक 03.01.14 को थाना गोहद चौराहा पर प्र0आरक्षक के पर पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को उसके द्वारा सी.एच.सी. गोहद पहुंचकर फरियादी राकेश के बताये अनुसार प्र0पी-3 की देहाती नालिसी लेख की थी जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। जिसमें फरियादी राकेश द्वारा टक क्रमांक एम0पी0-07-एच.बी.0179 के चालक के विरुद्ध तेजी व लापरवाही से टक चलाकर टक्कर मारने बाबत रिपोर्ट लेख कराई थी। प्रकरण की विवेचना में साक्षी राकेश, गंगासिंह, बृजेश के कथन उसके बताये अनुसार लेख किए थे। दौराने विवेचना दिनांक 04.01.14 को घटनास्थल पर पहुंचकर राकेश की निशादेही पर घटनास्थल का नक्शामौका प्र0पी-4 बनाया था जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। दौराने विवेचना आरोपी रामसेवक से टक क्रमांक एम0पी0-07-एच.बी.0179 मय कागजात जप्त कर प्र0पी-5 का जप्ती पत्रक बनाया था जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं तथा आरोपी को गिरफ्तार कर प्र0पी-6 का गिरफ्तारी पत्रक बनाया था जिस पर ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। गाड़ी मालिक अवधेशसिंह सिंघन से घटना के समय गाड़ी चालक के संबंध में प्रमाणीकरण प्राप्त किया था जिसमें घटना के समय रामसेवक द्वारा गाड़ी चलाना बताया गया था उक्त प्रमाणीकरण प्र0पी-7 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।
9. साक्षी डॉ0 धीरज गुप्ता अ0सा02 का कथन है कि वह दिनांक 03.01.14 को सी.एच.सी. गोहद में मेडीकल ऑफीसर के पद पर पदस्थ था उक्त दिनांक को थाना गोहद चौराहा के प्र0आरक्षक राजेन्द्रसिंह द्वारा लाये जाने पर आहत राकेश पुत्र तोताराम उम्र 42 साल जाति कुशवाह निवासी कठवाहांजी जोकि रोड टेफिक एक्सीडेंट में घायल हुआ था, का मेडीकल परीक्षण करने पर आहत के जर्नलाइज सूजन जोकि सेकरल ऐरिया में थी जिसके लिए एक्सरे की सलाह दी गयी थी उसके मतानुसार आहत को आई चोट शून्य से 6 घण्टे के अंदर आना एवं कठोर एवं भौथरी वस्तु से आना प्रतीत होती है मेडीकल रिपोर्ट प्र0पी-1 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। दिनांक 04.01.14 को आहत राकेश पुत्र तोताराम का एक्सरे कराने पर आहत को पेल्विक बोन में फ्रैक्चर पाया था उसके द्वारा तैयार एक्सरे रिपोर्ट प्र0पी-2 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।
10. आहत राकेश अ0सा04 ने दुर्घटना टक क्रमांक एम0पी0-07-एच.बी. 0179 के द्वारा कारित किए जाने के तथ्य से इंकार किया है और दुर्घटना कारित करने वाले वाहन को आरोपी द्वारा चलाये जाने का भी कथन नहीं किया है। अन्य प्रत्यक्ष साक्षी गंगासिंह अ0सा01 ने भी टक क्रमांक एम0पी0-07-एच.बी.0179 के द्वारा दुर्घटना होने की जानकारी से इंकार किया है और प्रतिपरीक्षण में किस वाहन चालक द्वारा वाहन को चलाया जा रहा था यह जानकारी होने से इंकार किया है। बृजेश अ0सा05 ने स्वयं को घटना का प्रत्यक्ष साक्षी होने से इंकार कर टक क्रमांक

एम0पी0-07-एच.बी.0179 के द्वारा राकेश अ0सा04 के साथ दुर्घटना कारित किए जाने से इंकार किया है। अभियोजन का मामला प्रत्यक्ष साक्ष्य पर निर्भर है और किसी भी प्रत्यक्ष साक्षी ने आरोपी द्वारा टक चलाकर राकेश अ0सा04 को टक्कर मारे जाने का कथन नहीं किया है और परिस्थितिजन्य साक्ष्य में दुर्घटना टक क्रमांक एम0पी0-07-एच.बी.0179 से भी होने से इंकार किया है। अतः उपरोक्त संपूर्ण तथ्यों से अभियोजन का मामला सिद्ध नहीं होता है और यह सिद्ध नहीं होता है कि आरोपी ने दिनांक 03.01.14 को रात्रि 8 बजे या उसके लगभग सरदार पेट्रोल पम्प के सामने भिण्ड ग्वालियर हाईवे रोड अंतर्गत थाना गोहद चौराहा लोक मार्ग पर वाहन ट्रक क्रमांक एम0पी0-07-एच.बी.0179 को उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया तथा फरियादी राकेश कुशवाह अ0सा04 की मोटरसाइकिल सी.टी.100 में टक्कर मारकर उसे घोर उपहति कारित की।

11. परिणामतः आरोपी को धारा 279, 338 भा.द.स. के आरोप से दोषमुक्त ढ घोषित किया जाता है।
12. आरोपी के जमानत व मुचलके भारमुक्त किए जाते हैं।
13. प्रकरण में जप्त वाहन टक क्रमांक एम0पी0-07-एच.बी.0179 आवदेक अवधेशसिंह की सुपुर्दगी में है अतः सुपुर्दगीनामा अपील अवधि पश्चात उन्मोचित किया जाये और अपील होने की दशा में अपील न्यायालय के आदेश का पालन किया जाये।

दिनांक :-

सही / -

(गोपेश गर्ग)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गोहद जिला भिण्ड म0प्र0